आदेश

प्रार्थी इन्द्राज सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बजावा पटवार हल्का बजावा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 145 मे आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त फर्द मौका मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि खसरा नम्बर 144 के सटाकर देवे। तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner